न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी बन्शी धर योगी (RAS)
मुकदमा नम्बर 76 / 2024 (नया), 24 / 2002 (पुराना)
GCMS NO. 2024/247

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

वादी

— बनाम —

1 बजरंगलाल शर्मा पुत्र रामकुवार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी खरकड़ा तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.) **(मृतक)**
1/1 मु. इन्द्रा बेवा बजरंगलाल शर्मा
1/2 सूर्यप्रकाश पुत्र स्व. बजरंगलाल शर्मा
1/3 चेतन पुत्र स्व. बजरंगलाल शर्मा
1/4 मुकेश पुत्र स्व. बजरंगलाल शर्मा
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण खरकडा तहसील खेतडी जिला झुझुनू हाल जिला नीमकाथाना (राज0)
1/5 रेशमा पुत्री स्व. बजरंगलाल शर्मा पत्नी सांवरमल जाति ब्राहम्ण निवासी केसली नावा मु.पो.चौसला तहसील नावां जिला नागौर (राज0)

2. जयसिह पुत्र ज्ञानसिंह **(मृतक)**
2/1. भंवर कंवर बेवा जयसिंह जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) **(मृतक)**
2/1/1. अनिता कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह नवीरा जयसिंह पत्नी अजीत सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी गंगानगर मोहल्ला पुरानी आबादी, नई सब्जी मण्डी, चार नम्बर स्कूल के पीछे श्री गंगानगर जिला गंगानगर (राज0)
2/1/2. मुकेश कवर पुत्री पृथ्वीसिंह नवीरा जयसिंह पत्नी भैरूसिंह राठोड
2/1/3. अन्नु कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह नवीरा जयसिंह पत्नी विसाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण मेघाणा अगुणाबास नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
2/1/4. उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नवीरा जयसिंह
2/1/5. जगदीश सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नवीरा जयसिंह
2/1/6. अजयसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नवीरा जयसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतडी जिला झुझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)
2/1/7. रूकमण कंवर पुत्री जयसिं[illegible] सुगन सिह जाति राजपूत निवासी बीकानेर मोहल्ला इन्दिरा [illegible] एफसीआई गोदाम के सामने बीकानेर तहसील व जि[illegible]
2/1/8. वन्दन कंवर पुत्री जयसिंह [illegible] औंकार सिंह जाति राजपूत निवासी पुनास तहसील रेणी जिला नागौर [illegible]ज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

2/2. सुन्दर सिंह पुत्र स्व. जयसिंह जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना राज0

2/3. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जयसिंह **(मृतक)**

2/3/1. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह

2/3/2. मंजु कंवर पुत्री स्व. महेन्द्र सिंह

2/3/3. गुड्डी कंवर पुत्री स्व. महेन्द्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

3. किनक सिंह पुत्र स्व. ज्ञानसिंह **(मृतक)**

3/1. छगन कंवर पत्नी स्व. किनक सिंह

3/2. हनुमान सिंह पुत्र स्व. किनक सिंह

3/3. पूर्ण सिंह पुत्र स्व. किनक सिंह

3/4. खमाण सिंह पुत्र स्व. किनक सिंह

3/5. सम्पत कंवर पुत्री स्व. किनक सिंह

3/6. कमल कंवर पुत्री स्व. किनक सिंह

3/7. चन्द्र कंवर पुत्री स्व. किनक सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतडी जिला झुझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

4. रणधीर सिंह पुत्र ज्ञानसिंह

5. किशोर सिंह पुत्र सांवतसिंह **(मृतक)**

5/1. मु. सायर कंवर बेवा किशोरसिंह

5/2. जब्बरसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह **(मृतक)**

5/2/1. उम्मेद कंवर पत्नी स्व. जब्बरसिंह

5/3. विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. किशोर सिंह

5/4. भैरूसिंह पुत्र स्व. किशोर सिंह

5/5. बेबी कंवर पुत्री स्व. किशोर सिंह

5/6. विनोद कंवर पुत्री स्व. किशोर सिंह

5/7. मदन कंवर पुत्री स्व. किशोरसिंह **(मृतक)**

5/7/1. दुलारसिंह पुत्र स्व. मदन कंवर

5/7/2. सुमन कंवर पुत्री स्व. मदन कंवर

6. भादर सिंह पुत्र अखेसिंह

7. दलीप सिंह पुत्र अखेसिंह

8. बजरंगसिंह पुत्र अखेसिंह

जाति राजपूत निवासीगण नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

9. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

10. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा– खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

12 अरागरी बानो पत्नी कुरबान अली जाति मुसलमान निवासी चरणसिंह नगर तहसील गुढा गौडजी जिला झुझुनू (राज)

13 सम्पत कवर पत्नी दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी नगली सलेदीसिंह तहसील खेतडी जिला झुझुनू हाल जिला नीमकाथाना (राज)

14 सुमित्रा देवी पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी नगली सलेदीसिंह तहसील खेतडी जिला झुझुनू हाल जिला नीमकाथाना (राज)

15 धर्मवीर सिंह पुत्र ख्यालीराम

16 सिलोचना देवी पत्नी धर्मवीर सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण चरणसिंह नगर तहसील गुढा गौडजी जिला झुझुनू (राज)

17 जोरूराम पुत्र रूपाराम जाति राजपूत रेबारी

18 रामोतार पुत्र बुधराम जाति कुमावत (कुम्हार)

समस्त निवासीगण नगली सलेदीसिंह तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना(राज)

.... प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

	अभिभाषक	वादी
1. श्री कृष्ण कुमार वर्मा	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 5/4
2. श्री अजीत सिंह तंवर	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 5/3
3. श्री सुभाष बबेरवाल	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 15 व 16
4. श्री गिरधारी लाल सैनी		

–: निर्णय :– दिनांक :– 29.11.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 07.06.2004 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम नंगली सलेदीसिंह स्थित खाता संख्या 117 के कुल किता 14 तादादी 17.10 हेक्टेयर में तथा खाता संख्या 22 के कुल किता 11 तादादी 19.33 हेक्टेयर में जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार भौतिक रूप से विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जावे। तहसीलदार खेतडी को 800/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जावे और मौके पर कम से कम डिस्टर्ब करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा प्रतिदावा के जरिये अपने हिस्से की दुरूस्ती का अनुतोष चाहा था, जिसे न्यायालय हाजा ने अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतडी जिला झुंझुनूं (राज.) द्वारा न्यायाल[illegible] प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2004 की अनुपालना [illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2004/2854 [illegible] प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yog
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

न्यायालय हाजा के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2004 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 ने माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां **प्रथम** अपील संख्या 141/2004 बउनवानी किशोर सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि संस्थित की गई, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2012 से इन आधारों पर खारिज कर दी, कि प्रदर्श ए1 जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 में विवादित आराजी की खातेदारी भवर सिंह पुत्र मादर सिंह हिस्सा 1/5 मु. गोरकंवर बेवा रघुवीर सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हिस्सा 1/5, जयसिंह, किशनसिंह, रणधीरसिंह पिता ज्ञानसिंह हिस्सा 1/5 किशोरसिंह पुत्र सावतसिंह, मादरसिंह, दलीपसिंह, बजरंगसिंह पिता अखेसिंह हिस्सा 3/5 दर्ज है। प्रदर्श-ए 2ए लिखावट दिनांक 27.01.2000 में विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा किया जाना भवरसिंह पुत्र मादरसिंह ने दर्ज किया है। प्रदर्श-6ए में विवादित आराजी की खातेदारी किशोरसिंह पुत्र सावतसिंह, मादरसिंह, दलीपसिंह, बजरंगसिंह पिता अखेसिंह हिस्सा 1/3, मु. गोरकंवर बेवा रघुवीर सिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीर सिंह हिस्सा 1/3 हि.ब जयसिंह, रणधीरसिंह, विशनसिंह पिता ज्ञानसिंह हिस्सा 1/3 ब.हि.ब दर्ज है। प्रदर्श-ए9 में आराजी खसरा नम्बर 233, 308, 311, 323 की खातेदारी सावतसिंह व अर्जनसिंह पिता भगवतसिंह, रघुवीरसिंह व जैसिंह पिता ज्ञानसिंह हि.ब.दर्ज है। प्रदर्श-ए 10 व 11 में सावतसिंह 1/5 हिस्से का खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-ए12 व ए13 का अवलोकन किया गया। मौखिक साक्ष्य का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन में यह आया कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने हिस्से की भूमि का खाता बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अलग कराने का पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट का दावा मुताबिक जमाबन्दी प्रदर्श-1ए, 6ए, 9ए से 11ए के अनुसार चाहा है। अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की तथा प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय करते हुये वादी का दावा स्वीकार किया है जिसमें विवादित आराजी का बंटवारा खाता संख्या 117 तथा खाता संख्या 22 में दर्ज हिस्सेनुसार खाता अलग करने के लिये तहसीलदार खेतडी को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये है। जिसमें मौके के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये है। अदालत मातहत का प्रत्येक तनकी का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें हम अदालत मातहत की तनकी के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते। अपीलान्ट का काउन्टर दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध है जिसे अदालत मातहत ने खारिज किया है जिसमें भी हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है। रेस्पोडेन्ट के दावे में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के लिये प्राथमिक डिक्री जारी की जो विधि अनुसार उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी खेतडी का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2004 को यथावत रखा जाता है।

माननीय न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां दौराने अपील प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या **5** के विधिक वारिसान ने माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन [illegible] सीकर की अपील संख्या 141/2004 बउनवानी किशोर सिंह बनाम सुरेन्द्र सिं[illegible] निर्णय दिनांक 19.07.2012 की **द्वितीय** अपील संख्या 6289/201[illegible] किशोरसिंह आदि बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि माननीय न्यायालय राजस्व [illegible] राजस्थान अजमेर के यहां संस्थित की, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक [illegible]12.2022 से इन आधारों पर खारिज कर दी, कि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों की अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए समवर्ती निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yo
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

पारित किये गये है [illegible] होता है, [illegible] की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों [illegible] द्वारा अपील संख्या 141/2004 [illegible] पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2012 एवं सहायक कलक्टर खेतड़ी द्वारा वाद संख्या 24/2002 [illegible] मे पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 07.06.2004 की पुष्टि की जाती है।

प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर दिनांक 03.04.2024 को नम्बर 76/2024 पर दर्ज कर प्रकरण में आगे की सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में पूर्व पक्षकारों के कायम मुकाम तथा विक्रेताओं के स्थान पर गये पक्षकारों को प्रतिस्थापित कर प्रतिवादीगण के पैरवी तामील नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 5/4 तथा 15 व 16 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनाक ..12.2023 की अनुपालना मे श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व (ग्रुप-7) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा राजस्व मण्डल/अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों मे वर्षो से लम्बित प्रकरणो के त्वरित निस्तारण की बाबत पत्रांक प. 3 (637) राज-7/2023 दिनाक 08.02.2024 के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाये (एसओपी) के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रकरण मे सुनवाई हेतु छोटी तारीख पेशियां दी गई ताकि 20 वर्ष के ओल्ड मुकदमें का त्वरित निस्तारण हो सके।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 पर प्रतिवादी संख्या 5/4 का दिनांक 28.11.2024 को इस आशय का आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि उक्त उनवानी प्रकरण मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2004 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये गये है। आदेश की पालना में हल्का पटवारी मौके पर नहीं गया उसने केवल रिकार्ड के आधार पर वादी के घर बैठकर ही वादी के कहने से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। हल्का पटवारी मौके पर जाता तो दावे के अन्य प्रतिवादीगण भी मौके पर उपस्थित होते उनके हस्ताक्षर भी विभाजन प्रस्ताव पर नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव में भी हल्का पटवारी द्वारा खाता संख्या 22 किता 11 कुल रकबा 19.33 हेक्टेयर मे वादी के 1/3 हिस्से में केवल खसरा नम्बर 482 व खसरा नम्बर 597 कुल रकबा 3.67 हेक्टेयर पर ही कब्जा काश्त पाया जाना बताया गया है। इसी प्रकार खाता संख्या 117 किता 14 कुल रकबा 17.10 हेक्टेयर में वादी के 1/5 हिस्से में केवल खसरा नम्बर 471, 491, खसरा नम्बर 389 की 1.59 हेक्टेयर भूमि पर ही कब्जा काश्त माना है। इससे भी स्पष्ट है कि वादी का हिस्से के अनुसार कभी कब्जा नहीं [illegible] कुरेजात हल्का पटवारी द्वारा सन् 2004 में तैयार किये गये थे [illegible] नम्बर गांव चरणसिहनगर मे चले गये है तथा मौके पर भी काफी [illegible] जमीन का बेचान हो चुका है। इसलिये कब्जे काश्त कि स्थिति भी बदल गई है। इसलिए सन् 2004 में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वर्तमान में [illegible] सही मानते हुए निर्णय पारित नहीं किया जा सकता ना ही इससे पक्षकारान को न्याय मिलेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने की कृपा करें।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 (पत्रांक 29.07.2004) का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा बहस शुरू होने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5/3 की ओर से श्री सुभाष बबेरवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उक्त अधिवक्ता को बहस में शामिल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा पटवारी हल्का नंगली सलेदीसिंह को मय राजस्व रिकार्ड के साथ लेकर जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार वादी का भौतिक रूप से तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 को मध्य नजर रखते हुये पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में अंकित है कि वादी सुरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह मौके पर मौजूद मिले। प्रतिवादी को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कहने पर भी प्रतिवादी मौके पर उपस्थित नहीं रहे। केवल प्रतिवादी रणधीर सिंह पुत्र ज्ञानसिंह मौजूद रहे। खाता विभाजन मौके पर वादी सुरेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी रणधीरसिंह की मौजूदगी में तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 5/4 के द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का पर लगाया गया आरोप साबित नहीं होता है। जहां तक प्रश्न है वादी का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से मौके पर कम भूमि पर कब्जे का, इस संबंध में न्यायालय हाजा तथा माननीय अपीलीयें न्यायालयों द्वारा वादी के वाद को सही ठहराया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व उसके विधिक वारिसान का प्रतिदावा/अपीलें खारिज की गई है। जब प्रतिवादी संख्या 5 व उसके विधिक वारिसान के द्वारा माननीय अपीलीयें न्यायालयों के समक्ष अपीलें की गई थी, उस समय से ही विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर मौजूद है तथा न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 07.06.2004 में आदेश दिया गया है कि जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार भौतिक रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 व उसके विधिक वारिसान की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर माननीय अपीलीयें न्यायालयों में कोई उजर नहीं उठाया गया है कि वादी का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से कम भूमि पर कब्जा है। जबकि विभाजन प्रस्ताव की उनको पूर्ण जानकारी है। मूल गांव नंगली सलेदीसिंह से नया राजस्व ग्राम चरणसिंहनगर बनने से खसरा नम्बर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। केवल खाते ही नये बने है। इसलिये राजस्व अधिकारी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांक 21.06.2004 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में न्यायालय हाजा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है। चूंकि प्रकरण के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2004 की पुष्टि माननीय अपीलीयें न्यायालयों द्वारा की जा चुकी है तथा प्रकरण मूल रूप से केवल सामान्य खाता विभाजन का है। प्रकरण में मृतक पक्षकारों [illegible] मुकाम तथा विक्रेताओं के स्थान पर नये पक्षकारों को प्रतिस्थापित [illegible] यदि न्यायालय हाजा के द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो वह वादी के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होगा। वादी वर्ष 2002 से केवल सामान्य खाता विभाजन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Y
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 [illegible] बनाम अमरनाथ व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व (ग्रुप 7) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा राजस्व मण्डल/अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की बाबत पत्रांक प. 3 (637) राज 7/2023 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियायें (एसओपी) के परिप्रेक्ष्य में [illegible] स्वरूप राजस्व अधिकारी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांक 21.06.2004 का तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 5 के लिखित जवाब प्रतिवादी संख्या 5/4 द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2024 पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 (पत्रांक दिनांक 29.07.2004) (प्रदर्श अ 1 से 2 व ब 1 से ब 2) के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वाद वादी स्वीकार कर राजस्व ग्राम **नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना (राज0)** स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 8 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 475, 476, 477, 491, 726/492 कुल किता 5 कुल रकबा 2.90 हेक्टेयर हाल खाता संख्या 237 के हाल खसरा नम्बर 478 रकबा 0.82 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 7 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 485, 716/490 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हेक्टेयर व राजस्व ग्राम **चरणसिंह नगर तहसील गुढा गौडजी हाल जिला झुंझुनूं (राज0)** के हाल खाता संख्या 8 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 391, 400, 401 कुल किता 3 कुल रकबा 2.13 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 125 के हाल खसरा नम्बर 388 व 389 कुल किता 2 कुल रकबा 4.38 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 161 के हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 6.72 हेक्टेयर किता 1 कुल रकबा 6.72 हेक्टेयर महायोग किता 14 कुल रकबा 17.10 हेक्टेयर तथा राजस्व ग्राम **नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना (राज0)** स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 61 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 482, 597, 602, 603, 604, 605, 609, 623, 632, 633, 634 कुल किता 11 कुल रकबा 19.33 हेक्टेयर का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 (पत्रांक दिनांक 29.07.2004) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' **व** 'ब–1 से ब–2') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' **व** 'ब–1 से ब–2') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) व तहसीलदार गुढा गौडजी जिला झुंझुनूं (राज0) मुताबिक विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' **व** 'ब–1 से ब–2') के निर्णय का राजस्व रिकार्ड में अमल करेगें तथा प्रदर्श–ब–1 व ब–2' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम चरणसिंह नगर के हाल खाता संख्या 125 के हाल खसरा नम्बर 388 रकबा 3.73 हेक्टेयर में पश्चिम दिशा में वादी के पक्ष में प्रस्तावित रकबा 0.60 हेक्टेयर पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा रहन बेचान आदि नहीं करें। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Y
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

(बन्शी धर [illegible]गी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

[illegible]

(Civil Procedaur Code Appendix D [illegible])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज)

पीठासीन अधिकारी — बन्शी धर योगी (RAS)

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी नांगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)

वादी

— बनाम —

बजरंगलाल शर्मा पुत्र रामकुवार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज) **(मृतक)** व अन्य

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— **खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट 1955**

मुकदमा नम्बर :— **76/2024 (नया), 24/2002 (पुराना)**

GCMS NO. 2024/247

निर्णय दिनांक :— **29.11.2024**

वादी की ओर से **श्री कृष्ण कुमार वर्मा एडवोकेट** की, प्रतिवादी संख्या 5/4 की ओर से **श्री अजीत सिंह तंवर एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 5/3 की ओर से **श्री सुभाष बबेरवाल एडवोकेट** की तथा प्रतिवादी संख्या 15, 16 की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **29.11.2024** को **बन्शी धर योगी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

"वाद वादी स्वीकार कर राजस्व ग्राम **नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना (राज0)** स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 8 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 475, 476, 477, 491, 726/492 कुल किता 5 कुल रकबा 2.90 हेक्टयर, हाल खाता संख्या 237 के हाल खसरा नम्बर 478 रकबा 0.82 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 7 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 485, 716/490 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हेक्टेयर व राजस्व ग्राम **चरणसिंह नगर तहसील गुढा गौड़जी हाल जिला झुंझुनूं (राज0)** के हाल खाता संख्या 8 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 391, 400, 401 कुल किता 3 कुल रकबा 2.13 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या [illegible] के हाल खसरा नम्बर 388 व 389 कुल किता 2 कुल रकबा 4.38 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 181 के हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 6.72 हेक्टेयर किता 1 कुल रकबा 6.72 हेक्टेयर, महायोग किता 14 कुल रकबा 17.10 हेक्टेयर तथा राजस्व ग्राम नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yog
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

जिला नीमकाथाना (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 61 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 482, 597, 602, 603, 604, 605, 609, 623, 632, 633, 634 कुल किता 11 कुल रकबा 19.33 हेक्टेयर का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 (पत्रांक दिनांक 29.07.2004) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' **व** 'ब–1 से ब–2') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' **व** 'ब–1 से ब–2') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतडी जिला नीमकाथाना (राज0) व तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनूं (राज0) मुताबिक विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' **व** 'ब–1 से ब–2') के निर्णय का राजस्व रिकार्ड में अमल करेगें तथा प्रदर्श–ब–1 व ब–2 के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम चरणसिंह नगर के हाल खाता संख्या 125 के हाल खसरा नम्बर 388 रकबा 3.73 हेक्टेयर में पश्चिम दिशा में वादी के पक्ष में प्रस्तावित रकबा 0.60 हेक्टेयर पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा रहन बेचान आदि नहीं करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 29.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested